



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

 भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
 PART II—Section 3—Sub-section (i)

 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2007/श्रावण 10, 1929

No. 352]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2007/SRAVANA 10, 1929

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 522(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची की मद 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

11. कोयला :

अ. पश्चिमी बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उत्पादित कोयला ।

(1) कोयला पर स्वामिस्व :

स्वामिस्व की दरें, जो स्वामिस्व की विनिर्दिष्ट और मूल्यानुसार दरों का एक संयोजन होगा, जो निम्नानुसार होंगी :

आर (स्वामिस्व रुपए प्रति टन) = ए + बीपी

जहां 'पी' (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है और 'ए' (नियत घटक) और 'बी' (भिन्न-भिन्न या मूल्य अनुसार घटक) के मूल्य निम्नानुसार होंगे :

| समूह | कोयला की श्रेणी | कोयला पर स्वामिस्व प्रति टन रुपए में |
|---------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| समूह-I | इस्पात श्रेणी-I | ए = 180.00 रुपए |
| | इस्पात श्रेणी-II | बी = 5 प्रतिशत |
| | वाशरी श्रेणी-I | अर्थात् 180 रुपए + जहां 'पी' (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत । |
| | सीधे भरना | |
| समूह-II | वाशरी श्रेणी-II | ए = 130.00 रुपए |
| | वाशरी श्रेणी-III | बी = 5 प्रतिशत |
| | अर्द्ध कोककारी कोयला-श्रेणी-I | अर्थात् 130 रुपए + जहां 'पी' (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|--|--|
| | अर्द्ध कोककारी कोयला श्रेणी-II श्रेणी-अ श्रेणी-आ | और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत। |
| समूह-III | वाशरी श्रेणी-IV श्रेणी-इ | ए = 90.00 रुपए बी = 5 प्रतिशत अर्थात् 90 रुपए + जहां 'पी' (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत। |
| समूह-IV | श्रेणी-ई श्रेणी-उ | ए = 70.00 रुपए बी = 5 प्रतिशत अर्थात् 70 रुपए + जहां 'पी' (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत। |
| समूह-IV | श्रेणी-ऊ श्रेणी-ए | ए = 55.00 रुपए बी = 5 प्रतिशत अर्थात् 55 रुपए + जहां 'पी' (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत। |

(2) लिग्नाइट पर स्वामिस्व :

ए = 45.00 रुपए

बी = 2 प्रतिशत

अर्थात् 45 रुपए + आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 2 प्रतिशत

(3) मिडलिंग्स पर स्वामिस्व :

(i) उपयोगी ऊष्मा मान = >1300

कोयले की सदृश श्रेणी को लागू दर (उपयोगी ऊष्मा मान पर आधारित);

(ii) उपयोगी ऊष्मा मान = <1300

ए = 45 रुपए;

बी = मूल्य का 5 प्रतिशत

अर्थात् 45 रुपए + विद्यमान वास्तविक बीजक मूल्य (कर और अन्य उद्ग्रहण को छोड़कर) का 5 प्रतिशत

स्वामिस्व ऐसे मिडलिंग्स या अस्वीकार्य पर प्रभारित नहीं होगी जबकि स्वामिस्व के दोहरे प्रभारण से बचने के लिए उसकी धुलाई के पूर्व कच्चे कोयले पर प्रभावित किया गया है।

4. उपकर के उद्ग्रहण के प्रति स्वामिस्व का समायोजन :

पश्चिम बंगाल से भिन्न राज्यों के लिए कोयला धारक भूमि के विनिर्दिष्ट उपकर या अन्य करों के उस उद्ग्रहण को अनुज्ञात स्वामिस्व का स्थानीय उपकरणों या ऐसे करों के लिए समायोजन किया जाएगा जिससे कि समस्त राजस्व को फार्मूला आधारित उत्पादन तक सीमित किया जा सके।

आ. पश्चिम बंगाल में उत्पादित कोयला :

(i) समूह I कोयला

(क) कोककारी कोयला
इस्यात श्रेणी-1

केवल सात रुपए प्रति टन

इस्पात श्रेणी-2

वाशरी श्रेणी-1

(ii) समूह II कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-II

कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-III

(ख) अर्द्ध कोककारी कोयला श्रेणी-I

केवल छह रुपए और पचास पैसे प्रति टन

अर्द्ध कोककारी कोयला श्रेणी-II

(ग) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-अ

गैर कोककारी कोयला श्रेणी-आ

(iii) समूह III कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी श्रेणी-IV

केवल पांच रुपए और पचास पैसे प्रति टन

(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ई

(iv) समूह IV कोयला :

(क) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ई

केवल चार रुपए और तीस पैसे प्रति टन

(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-उ

(v) समूह V कोयला :

(क) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ऊ

केवल दो रुपए और पचास पैसे प्रति टन

(ख) गैर कोककारी कोयला श्रेणी-ए

स्पष्टीकरण :

1. कोयला के श्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए कोयला की प्रत्येक श्रेणी विनिर्देश कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 3 के अधीन यथा विहित होगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. 28019/1/2005-सीए-II]

के. एस. क्रोफा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : द्वितीय अनुसूची का समय-समय पर संशोधन किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 572, असाधारण, तारीख 16 अगस्त, 2002 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2007

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, for item 11 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

11. COAL :**A. Coal produced in all States and Union territories except the State of West Bengal.****(1) Royalty on Coal :**

The rates of royalty, which shall be a combination of specific and ad valorem rates of royalty which shall be as follows :

$$R (\text{Royalty Rupees/tonnes}) = a + bP$$

Where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges and the values of 'a' (fixed component) and 'b' (variable or ad-valorem component) would be as follows :

| Group | Grade of Coal | Royalty on coal in Rupees per tonne |
|-----------|--------------------|--|
| Group-I | Steel Gr.-I | a = Rs. 180.00 |
| | Steel Gr. II | b = 5 per cent |
| | Washery-I | i.e. Rs. 180 + 5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges. |
| | Direct Feed | |
| Group-II | Washery-II | a = Rs. 130.00 |
| | Washery-III | b = 5 per cent |
| | Semi Coking Gr. I | i.e. Rs. 130 + 5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges. |
| | Semi Coking Gr. II | |
| | Grade A | |
| Group-III | Grade B | |
| | Washery-IV | a = Rs. 90.00 |
| | Grade C | b = 5 per cent |
| Group-IV | | i.e. Rs. 90 + 5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges. |
| | Grade D | a = Rs. 70.00 |
| | Grade E | b = 5 per cent |
| | | i.e. Rs. 70 + 5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges. |
| Group-V | Grade F | a = Rs. 55.00 |
| | Grade G | b = 5 per cent |
| | | i.e. Rs. 55 + 5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges. |

(2) Royalty on Lignite :

a = Rs. 45.00

b = 2 per cent

i.e. Rs. 45 + 2 per cent of basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal/lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges.

(3) Royalty on middlings :

(i) Useful Heat Value > 1300

rate applicable to corresponding grade of coal (based on Useful Heat Value);

(ii) Useful Heat Value = < 1300

a = Rs. 45

b = 5 per cent of price

i.e. Rs. 45 + 5 per cent of existing actual invoice price (excluding taxes and other levies).

The royalty shall not be charged on such middlings or rejects wherein royalty has been charged on raw coal prior to its washing in order to avoid double charging of royalty.

(4) Adjustment of royalty against levying of cess :

For States other than West Bengal that levy cess or other taxes specific to coal bearing lands, the royalty allowed shall be adjusted for the local cesses or such taxes so as to limit the overall revenue to the formula based yield.

B. Coal produced in the State of West Bengal :**(i) Group I of Coals :**

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| (a) Coking coal | Seven rupees only per tonne. |
| Steel Grade-I | |
| Steel Grade-II | |
| Washery Grade-I | |

(ii) Group II of Coals :

- | | |
|----------------------------------|---|
| (a) Coking Coal Washery Grade-II | Six rupees and fifty paise only per tonne |
| Coking Coal Washery Grade-III | |
| (b) Semi-Coking Coal Grade-I | |
| Semi-Coking Coal Grade-II | |
| (c) Non-Coking Coal Grade-A | |
| Non-Coking Coal Grade-B | |

(iii) Group III of Coals :

- | | |
|----------------------------------|---|
| (a) Coking Coal Washery Grade-IV | Five rupees and fifty paise only per tonne. |
| (b) Non-Coking Coal Grade-C | |

(iv) Group IV of Coals :

- | | |
|-----------------------------|---|
| (a) Non-Coking Coal Grade-D | Four rupees and thirty paise only per tonne |
| (b) Non-Coking Coal Grade-E | |

(v) Group V of Coals :

- | | |
|-----------------------------|--|
| (a) Non-Coking Coal Grade-F | Two rupees and fifty paise only per tonne. |
| (b) Non-Coking Coal Grade-G | |

Explanation :

1. For the purpose of grading of coal, the specification of each grade of the coal shall be as prescribed under rule 3 of the Colliery Control Rules, 2004.
2. The notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 28019/1/2005-CA-II]

K. S. KROPHA, Jt. Secy.

Foot note : The Second Schedule was amended from time to time and last amended vide Notification No. GSR 572, Extraordinary, dated 16th August, 2002.

3367 GI/07-2